

3/2/2018-सीएस-1(घ)  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

द्वितीय तल, लोक नायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 20 फरवरी, 2019

आदेश

प्रत्यावर्तन से वापस आने पर श्री प्रदीप कुमार भटनागर, निदेशक (सीएसएल सं. 4936) को तत्काल प्रभाव से उपभोक्ता मामले मंत्रालय में तैनात किया जाता है।

2. इस विभाग में अधिकारी की तैनाती के अधीन की अवधि अर्थात् 04.02.2019 से इस आदेश के जारी होने तक की अवधि को 'अनिवार्य प्रतीक्षा' माना जाएगा और इस अवधि के वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान अधिकारी को उपभोक्ता मामला मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

जे. श्रीनिवासन  
(के. श्रीनिवासन)

अवर सचिव, भारत सरकार  
टेलीफैक्स: 24642705

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी,
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
3. श्री जे. सी. राजपूत, उप सचिव, सामान्य प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार, महानन्दी भवन, अटल नगर, रायपुर।
4. अवर सचिव (यू)/अवर सचिव (एपीएआर), डीओपीटी
5. गार्ड फाइल।